पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में पुलिस थानों में गठित मिशन शक्ति टीम द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों व सुरक्षा उपाय के संबंध में जागरूक किया गया।

उ0प्र0 शासन की मंशा के अनुरुप मिशन शक्ति अभियान (फेज -4) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन पर आज दिनांक 13.09.2024 को जनपद महोबा के समस्त थानों में नियुक्त एण्टीरोमियो /शक्ति दीदी टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के ग्रामों में भ्रमण कर जनचौपाल का आयोजन कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में शुरुआत की गई है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना/ पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नही आना पड़ेगा अपितु **"शक्ति दीदी"** नियमित रुप से ग्राम चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया व कराया जा रहा है।

जनचौपाल में उपस्थित महिलाओ एवम् बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा,नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) फेज़-4 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और शासन द्वारा जारी हेल्प लाइन नम्बर-112, 108, 181, 1076, 1090,1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया। साथ ही शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं मे उज्जवला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना,फ्री सिलाई मशीन योजना,सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना,सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना,बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 13.09.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कबरई की पुलिस टीम ने दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 13.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक कुमार दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री नागेन्द्र कुमार नागर के द्वारा गठित की गई उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 162/24 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त सन्तू उर्फ सन्तराम पुत्र कामता प्रसाद कुशवाहा उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम बैहारी थाना चरखारी जनपद महोबा को कानपुर बाईपास कस्बा कबरई के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सन्तू उर्फ सन्तराम पुत्र कामता प्रसाद कुशवाहा उम्र 23 वर्ष नि0ग्राम बैहारी थाना चरखारी जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह
2. हे0कां0 रामकरन सिंह
3. कां0 अंकुश पाल

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 13.09.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

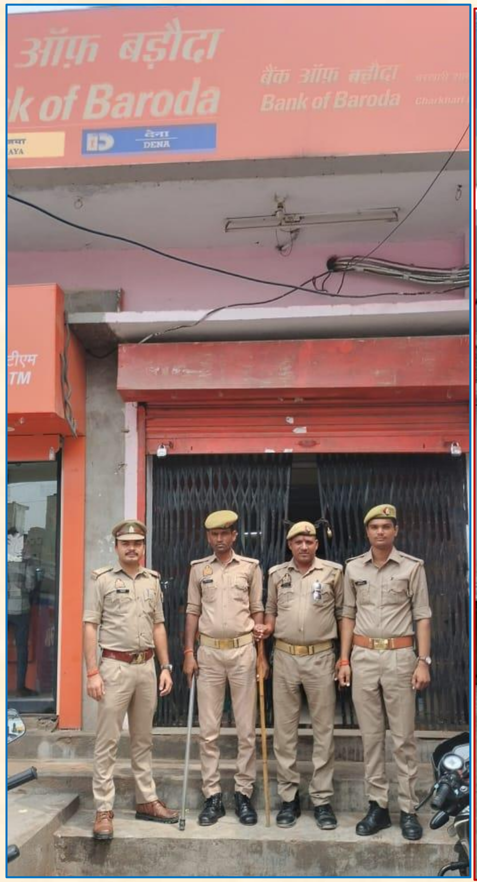

थाना खन्ना की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 13.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री विनोद कुमार द्वारा गठित की गई उ0नि0 श्यामजी यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त मिश्री नाथ पुत्र बैजनाथ उम्र करीब 46 वर्ष निवासी बाजपेई का पुरवा सिरसी कला थाना खन्ना जनपद जनपद महोबा सम्बन्धित केस नं0 1242/19 सीसी नं0 301/19 अ0सं0 122/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना खन्ना में मा0 न्यायालय सिविल जज जू0डि0/मजिस्ट्रेट चरखारी महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मिश्री नाथ पुत्र बैजनाथ उम्र करीब 46 वर्ष निवासी बाजपेई का पुरवा सिरसी कला थाना खन्ना जनपद जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्यामजी यादव
2. रि0का0 राहुल कुमार

थाना खरेला की पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र एवं कारतूस के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन पर जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 13.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खरेला श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित की गई उ0नि0 अवनीश कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.राहुल वर्मा पुत्र उदयभान उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा 2.उदयभान वर्मा पुत्र कल्लू उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा जिनके कब्जे से क्रमशः 01 अदद राइफल देशी 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद बन्दूक 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद करते हुए ग्राम चन्दौली के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 99/2024 व मु0अ0स0 100/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया । बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1.राहुल वर्मा पुत्र उदयभान उम्र करीब 20 वर्ष 2. उदयभान वर्मा पुत्र कल्लू उम्र करीब 45 वर्ष निवासीगण ग्राम चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 अवनीश कुमार यादव 2. उ0नि0 सुरेश कुमार यादव
3. हे0का0 योगेन्द्र कुमार 4. हे0का0 दशरथ सिंह, 5. का0 अनुराग सचान

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 13.09.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान पीडितों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया, प्राप्त जन समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फरियादियों को आश्वस्त करते हुए सम्बन्धित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश...

आज दिनांक 13.09.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी। जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया, जिससे फरियादियों के चेहरे में सम्बन्धित शिकायत के जल्द निस्तारण होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। सभी फरियादियों ने आश्वस्त होकर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा की है।